



दूरभाष: 0522-2286709.2.

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०५

नव चेतना केन्द्र, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक:- ५८५७/७६/१०/छ/तक०/विविध/१२-१३

दिनांक:- १६/१/१७

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

विषय:- शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य/मलिन बस्तियों में “इण्टरलाकिंग रोड व नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजनान्तर्गत” निर्माण कार्यों की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक:-15/पी.एस.एम.एस./2017 दिनांक:-04.01.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत निर्बाचिन आयोग के पत्र दिनांक 26.12.2016 संख्या 427/6/1/2016 (जो कि आयोग की वेब-साईट पर उपलब्ध है), का संज्ञान लेते हुये उक्त पत्र के प्रस्तर-5 में 04.01.2017 से पूर्व अर्थात् आचार संहिता लागू होने से पूर्व विकास/निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सूचना संकलित किये जाने अपेक्षा की गयी है। यह सूचना निम्न दो श्रेणियों में संकलित की जानी है:-

1. ऐसे निर्माण/विकास कार्यों की सूची जो संदर्भित तिथि से पूर्व भूमि पर प्रारम्भ हो चुके हैं।
2. ऐसे निर्माण/विकास कार्यों की सूची जो संदर्भित तिथि से पूर्व भूमि पर प्रारम्भ नहीं हुए हैं।

‘सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त दोनों सूचनायें संकलित करते समय कार्यों को 10 करोड से अधिक एवं कम की श्रेणियों में विभाजित करते हुए तत्काल लौटती डाक से शासन एवं अभिकरण को तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

(श्रीलेन्द्र कुमार सिंह)  
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:- समस्त परियोजना अधिकारी/सहाय परियोजना अधिकारी, दूड़ा, उत्तर प्रदेश को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त क्रम में पृष्ठ भाग पर वांछित सूचना तत्काल लौटती डाक से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(श्रीलेन्द्र कुमार सिंह)  
निदेशक

सं० M.S. 44/52-1-2017

कार्यालय : मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,  
लाल बहादुर शास्त्री भवन।

संख्या १५ / पी.एस.एम.एस. / 2017  
दिनांक : ०५ जनवरी, 2017

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव  
उत्तर प्रदेश।

संख्या ०५/८ / क्रमांक ०५/८/६/१/२०१६ (जो कि आयोग की वेब-साईट पर उपलब्ध है), का संज्ञान लेने का कष्ट करें। उक्त पत्र के प्रस्तार-५ में ०५ जनवरी, २०१७ से पूर्व अर्थात् आचार संहिता लागू होने से पूर्व विकास/निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सूचना संकलित किया जाना अपेक्षित है। यह सूचना निम्न दो श्रेणियों में संकलित की जानी है :-

क्रिएट

क्रिएट एन्ड कॉम्प्लेन्ट इलेक्ट्रॉनिक्स  
क्री।

- १- ऐसे निर्माण/विकास कार्यों की सूची जो संदर्भित तिथि से पूर्व भूमि पर प्रारम्भ हो चुके हैं।
- २- ऐसे निर्माण/विकास कार्यों की सूची जो संदर्भित तिथि से पूर्व भूमि पर प्रारम्भ नहीं हुए हैं।

०५/०१/२०१७

सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त दोनों सूचनायें संकलित करते समय कार्यों को १० करोड़ से अधिक एवं कन की श्रेणियों में विभाजित करते हुए दिनांक ०७.०१.२०१७ की अपराह्न तक इस कार्यालय को तीन प्रतियों में अविलम्ब उपलब्ध कराना उपराह्न एवं निम्नांकित रूप से सुनिश्चित करें।

Rishabh  
(राहुल भट्टाचार्य)  
मुख्य सचिव

श्रीष्ठि प्रथमिका / श्री राहुल भट्टाचार्य

०५/०१/२०१७ निक्षण अंक ०५/५०३०५०

प्रतिलिपि : मुख्य निर्वाचित अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

१- श्री राहुल भट्टाचार्य, मुख्य प्रेषित कार्यालय, लिखा (१) उपराह्न समाप्त कराना -  
निम्नमि - श्री राहुल भट्टाचार्य संविधान सभा विभाग संघर्ष निक्षम संविधान  
संघर्ष संघर्ष, (२) उपराह्न वक्तु प्रिया समिति (३) उपराह्न जल नियम तप्ति।

कृपया उपरोक्त सूचनाएँ दिनें ०६-१-२०१७ के अवधि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया करें।